न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल

III/पुनर्विलोकन/सीहोर/भू.रा./2017/3318 पुनर्विलोकन कमांक /17

रेवाप्रकाश आयु लगभग-60 वर्ष
आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राम्हण
निवासी व कृषक ग्राम बीजली तहसील
नसरूल्लागंज जिला सीहोर (म0प्र0) ------ आवेदक

विरूद्ध

अभिभावक श्री राजेश ... द्वारा आज दिनांक 22/8/17 को पेश।
अधीक्षक

सुगनचंद आयु 81 वर्ष
आत्मज श्री स्व. डुंगरिया
निवासी व कृषक ग्राम बीजला
तहसील नसरूल्लांगज जिला सीहोर ------ अनावेदक

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू राजस्व संहिंता 1959

यह पुनर्विलोकन आवेदक द्वारा माननीय महोदय के प्रकरण कमांक III/निगरानी/सीहोर/भू0रा./2017/1834 पक्षकार रेवाप्रकाश विरूद्ध सुगनचंद में पारित आदेश दिनांक 25/07/2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पीटिशन 10601/2017 में पारित आदेश दिनांक 01/08/2017 के पालन में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

1- यह कि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक-2/1/1/2, 5/1/2, 2/8, 2/1/2, 2/3/3/1 कुल रकबा 5.969 हेक्टेयर स्थित ग्राम बीजला तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर में है जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक-05.05.1983 को क्रय किया गया था। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निगरानीकर्ता के नाम नामांतरित होकर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में नाम चला आ रहा है एवं मौके पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

2- यह कि अनावेदक की ग्राम बीजला तहसील नसरूल्लाहगंज जिला सीहोर भूमि खसरा क्रमांक-1/2, 2/1/2/2/1क,2/1/2/2/1ग रकबा 3.327 हेक्टैयर है जो निगरानीकर्ता की भूमि से काफी दूरी पर है जिस पर आने जाने का रास्ता नहर पर बने रास्ते से अनावेदक एवं अन्य कृषक के द्वारा उपयोग किया जाता है।

3- यह कि अनावेदक ने पूर्व में वर्ष 1983 में रास्ते के संबंध में विवाद उठाया गया था जो निगरानीकर्ता के पूर्व भूमि स्वामी के विरूद्ध उठाया गया था जिसमें निगरानीकर्ता पक्षकार नही था। प्रकरण में आदेश पारित किया गया था जिसमें रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश किया गया था।

4- यह कि अनावेदक के द्वारा प्रकरण क्रमांक-01/अ-13/81-82 में पारित आदेश दिनांक- 30.05.83 के आधार पर अधिनस्थ तहसीलदार

...2.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–पुनरावलोकन / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 3318

ान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आ आदि के हस्ताक्ष
3/4/19	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 1834 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन कमांक 10601 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 1–8–17 के कम में प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों पर विचार किया गया तथा आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मनन् किया गया। 3/ प्रकरण के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने तहसीलदार नसरूल्लागंज के आदेश दिनांक 30–5–1983 का पालन करते हुये ग्राम बीजला की आराजी रकबा 3–327 हैक्टर भूमि पर पहुंचने वाले रास्ते को खोल दिया था किन्तु वर्ष 2009 में पुनः रास्ता कब्जा करके अवरोधित करने पर तहसीलदार नसरूल्लागंज ने प्रकरण कमांक 17 अ–68 / 08–09 में पारित आदेश दिनांक 8–7–2009 से रास्ता खोले जाने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार नसरूल्लागंज के आदेश दिनांक 8–7–2009 के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के यहां अपील की, जो प्रकरण कमांक 6 / 08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–09 से पुनः सुनवाई हेतु वापिस की गई। तहसीलदार नसरूल्लागंज ने पुनः प्र.क. 3 अ–13 / 13–14 में कार्यवाही करते हुये पक्षकारों को सुना है एंव जांच उपरांत आदेश दिनांक 29–8–09 पारित किया है । इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज ने प्र.क. 5 / 14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–10–15 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के आदेश दिनांक 19–10–15 के	

विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अनावेदक ने अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्र.क. 176/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–5–17 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19–10–15 निरस्त किया है तथा आवेदक व्दारा खेत पर जाने का रास्ता रोक देना प्रमाणित पाने के कारण 20,000/– की शास्ति अधिरोपित की है। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 4–5–17 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है जो प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/1834 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 से निरस्त की गई है। राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/1834 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 में कौनसी विधिक भूल हुई है अथवा आवेदक को ऐसा कौनसा अभिलेख प्राप्त हो गया है जो कि आदेश दिनांक 25–7–2017 पारित करने के पूर्व उसे प्राप्त नहीं हो पाया था अथवा उसके अभिज्ञान में नहीं आ पाया था ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं :–

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलत, या
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक के अभिभाषक समाधान कराने में असमर्थ्य रहे हैं कि ऐसे कौनसे कारण हैं जिनके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सके। पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है।

सदस्य